

**\*प्रेस नोट\***

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व स0पु0अधी0/क्षेत्राधिकारी कैण्ट के निर्देशन में दिनांक 12.10.2020 को थाना लालपुर-पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में थाना क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 04 व्यक्ति चोरी की 02 अपाचे मोटर साइकिल से ग्राम गोइठहां की ओर से रिंग रोड की तरफ आने वाले हैं, यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़े जा सकते हैं। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 मय हमराह पुलिस बल के त्वरित कार्यवाही करते हुए ग्राम गोइठहां मोड़ के पास पहुँचकर उक्त व्यक्तियों का इंतजार करने लगे कि कुछ ही देर में दो मोटर साइकिल सवार चार व्यक्ति आते हुए दिखायी दिये, जो पुलिस बल को देखकर मोटर साइकिल मोड़ कर भागने का प्रयास करने लगे, कि अनियंत्रित होकर गिर गये, मौके पर मौजूद पुलिस बल द्वारा घेराबन्दी कर दो व्यक्तियों को पकड़ लिया गया तथा मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे दो व्यक्ति अन्धेरे का फायदा उठाकर फरार हो गये। पकड़े गये व्यक्तियों की तलाशी ली गयी तो उनके कब्जे से 02 जोड़ी चांदी की पायल, 01 अदद सोने की चेन बरामद हुई। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना लालपुर-पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण आदित्य नारायण उर्फ गोलू व आरिफ खान को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*पूछताछ विवरण-\***

पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा बताया गया कि दोनो अपाचे मोटर साइकिल 6-7 दिन पहले हमने थाना सारनाथ क्षेत्र के बुद्ध नगर कालोनी से अपने साथियों के साथ मिलकर चुरायी थी। सोने की चेन अगस्त माह में संजय नगर कालोनी में बंद पड़े मकान का ताला तोड़कर चोरी की थी, जिसमें सोने की चेन के अलावा अन्य वस्तुएं भी चोरी की गयी थी तथा चांदी की पायल हम लोगों ने मढ़वा से करीब 20 से 25 दिन पहले चोरी की थी। आज हम लोग चोरी के सामानों को बेचने के लिए शहर जा रहे थे कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\***

- आदित्य नारायण उर्फ गोलू पुत्र परमेश्वर उर्फ टेढई निवासी ग्राम रमदत्तपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी।
- आरिफ खान पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम रमदत्तपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी।

**\*बरामदगी का विवरण-\***

- 02 अदद चोरी की अपाचे मोटर साइकिल।
- 02 जोड़ी चाँदी की पायल।
- 01 अदद सोने की चेन।

**\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-\***

- प्रभारी निरीक्षक वेद प्रकाश राय थाना लालपुर पाण्डेयपुर, उ0नि0 संतोष कुमार चौकी प्रभारी लालपुर, उ0नि0 प्रदीप यादव, उ0नि0 राजकुमार वर्मा, का0 पंकज कुमार, का0 संतोष वर्मा, हे0का0 गोरख यादव थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



**\*प्रेस नोट\***

आज दिनांक 13-10-2020 को थाना चौबेपुर के उ0नि0 दिलीप कुमार मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में थाना क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-370/2020 धारा-147/148/323/506/308/427 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त अतीश दुबे उर्फ आशीष दुबे उर्फ बुलबुल पुत्र महेन्द्र शंकर दुबे निवासी ग्राम ढकवा थाना चौबेपुर वाराणसी को चन्द्रावती बाजार से समय करीब 11.40 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\***

1. अतीश दुबे उर्फ आशीष दुबे उर्फ बुलबुल पुत्र महेन्द्र शंकर दुबे निवासी ग्राम ढकवा थाना चौबेपुर वाराणसी।

**\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-\***

- उ0नि0 दिलीप कुमार, उ0नि0 रविकान्त चौहान, का0 अभय कुमार यादव, का0 विमल कुमार पाण्डेय, का0 सुरेश यादव थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी।

**प्रभारी निरीक्षक**



सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644,  
policevaranasi

फैक्स-91-542-2501450, [ईमेल-sspvnns-up@nic.in](mailto:ईमेल-sspvnns-up@nic.in),

Facebook-

संख्या: पीआरओ 70/2020

दिनांक: अक्टूबर, 13/2020

\*प्रेस नोट\*

आज दिनांक-13-10-2020 को थाना चौबेपुर के उ0नि0 बरदानी लाल द्वारा मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 477/2020 धारा 354/294/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त रिंकू यादव पुत्र स्व0 अनिल यादव निवासी दुर्गवा राजवारी थाना चौबेपुर वाराणसी को कैथी बस स्टैण्ट के पास से समय करीब 10.50 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\*

- रिंकू यादव पुत्र स्व0 अनिल यादव निवासी दुर्गवा राजवारी थाना चौबेपुर वाराणसी।

\*पुलिस टीम का विवरण-\*

- उ0नि0 बरदानी लाल, उ0नि0 रविकान्त चौहान, का0 अभय कुमार यादव, का0 विमल कुमार पाण्डेय, का0 सुरेश यादव, का0 प्रवीण राज व म0हे0का0 नम्रता सोनकर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी।



प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

**\*प्रेस नोट\***

आज दिनांक 13/10/2020 को थाना लोहता के उ0नि0 राधेश्याम सिंह मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में कोरउत बाजार में मौजूद थे कि मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 226/2020 धारा 363 /366 आईपीसी व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त सुनील यादव पुत्र बबऊ यादव निवासी कोरउत थाना लोहता जनपद वाराणसी को भरथरा तिराहे के पास से समय करीब 07.00 बजे गिरफ्तार कर लिया गया जिसके कब्जे से अपहता बरामद हुई। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना लोहता पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\***

- सुनील यादव पुत्र बबऊ यादव निवासी कोरउत थाना लोहता जनपद वाराणसी उम्र-23 वर्षी।

**\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-\***

- उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह, उ0नि0 शिवसहाय सरोज, का0 आदित्य कुमार व म0का0 सोनम कुमारी थाना चौबेपुर, वाराणसी।



प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644,  
policevaranasi

फैक्स-91-542-2501450, [ईमेल-sspvn-s-up@nic.in](mailto:ईमेल-sspvn-s-up@nic.in),

Facebook-

संख्या: पीआरओ 72/2020

दिनांक: अक्टूबर, 13/2020

### \*प्रेस नोट\*

आज दिनांक 13/10/2020 को थाना लोहता के उ0नि0 जनक सिंह मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में शान्ति सरोवर भट्टी के पास मौजूद थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि मु0अ0सं0 244/2020 धारा 384 भादवि व 67बी आईटी एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण विकास सिंह व मान सिंह, सिटकहवा बाबा मन्दिर के पास खड़े होकर किसी का इन्तजार कर रहे हैं, यदि आप लोग शीघ्रता करें तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 द्वारा मय हमराह पुलिस बल के सिटकहवा बाबा मंदिर के पास पहुँचकर अभियुक्तगण उपरोक्त को समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना लोहता पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### \*गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-\*

- विकास सिंह पुत्र रजिन्दर सिंह निवासी ग्राम भट्टी थाना लोहता वाराणसी उम्र करीब 20 वर्ष।
- मान सिंह पुत्र कैलाश सिंह चौहान निवासी ग्राम भट्टी थाना लोहता वाराणसी उम्र करीब 19 वर्ष।

### \*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-\*

- उ0नि0 श्री जनक सिंह, का0 पवन कुमार यादव व का0 दिवाकर गुप्ता थाना लोहता, जनपद वाराणसी।



प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी  
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-[sspvns-up@nic.in](mailto:sspvns-up@nic.in), Facebook-  
policevaranasi

संख्या: पीआरओ 73/2020

दिनांक: अक्टूबर, 13/2020

**\*प्रेस नोट\***

आज दिनांक 13.10.2020 को थाना सिगरा के उ0नि0 रामनरेश यादव मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में थाना क्षेत्र में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि मु0अ0सं0-467/2020 धारा-455/376/504/506 भादवि में नामजद वांछित अभियुक्त विशाल सेठ पुत्र पारसनाथ सेठ निवासी सी0 9/27 हबीबपुरा थाना चेतगंज जिला वाराणसी सिगरा चौराहा के पास गोविन्द वस्त्रालय के सामने किसी के इंतजार में खड़ा है, यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 द्वारा मय हमराह पुलिस बल के सिगरा चौराहे पर पहुँचकर गोविन्द वस्त्रालय के सामने खड़े अभियुक्त विशाल सेठ को समय करीब 12.05 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\***

- विशाल सेठ पुत्र पारसनाथ सेठ निवासी सी0 9/27 हबीबपुरा थाना चेतगंज जिला वाराणसी उम्र-29 वर्ष।

**\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-\***

- उ0नि0 राम नरेश यादव चौकी प्रभारी नगर निगम व हे0का0 परवेज खान, हे0का0 राजेन्द्र बहादुर सिंह थाना सिगरा जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल

जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644,  
policevaranasi

फैक्स-91-542-2501450, [ईमेल-sspvn-up@nic.in](mailto:ईमेल-sspvn-up@nic.in),

Facebook-

संख्या: पीआरओ 74/2020

दिनांक: अक्टूबर, 13/2020

\*प्रेस नोट\*

दिनांक 12/10/2020 को थाना शिवपुर के उ0नि0 चन्द्रदीप कुमार चौकी प्रभारी चाँदमारी मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में सुतबल गेट पर मौजूद थे कि एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति आते दिखाई दिये, जिन्हे रुकने का इशारा किया गया तो दोनों व्यक्तियों द्वारा नशे की हालत में अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उ0नि0 चन्द्रदीप कुमार के साथ मारपीट की गयी, जिससे उ0नि0 को चोटे भी आयी। मौके पर मौजूद पुलिस बल द्वारा उक्त दोनो व्यक्तियों को समय करीब 19.01 बजे पकड़ लिया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना शिवपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0560 /2020 धारा 332/ 353 /504/ 506 भादवि व 07 सी0एल0ए0 एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्तगण अरविन्द पटेल व सर्वेश पटेल को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-\*

➤ अरविन्द पटेल पुत्र होरी लाल निवासी घूरीपुर थाना सारनाथ, वाराणसी उम्र 32 वर्षी

➤ सर्वेश पटेल पुत्र लालमन पटेल निवासी घूरीपुर थाना सारनाथ जनपद वाराणसी उम्र 32 वर्षी

\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-\*

➤ उ0नि0 चन्द्रदीप

कुमार चौकी प्रभारी  
चाँदमारी, का0 733 मनोज  
कुमार, हे0कां0 348  
विनोद कुमार सिंह व कां0  
1751 चन्दन सिंह थाना  
शिवपुर वाराणसी।



प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

कार्यालय

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644,  
policevaranasi

फैक्स-91-542-2501450, [ईमेल-sspvn-s-up@nic.in](mailto:ईमेल-sspvn-s-up@nic.in),

Facebook-

संख्या: पीआरओ 75/2020

दिनांक: अक्टूबर, 13/2020

**\*प्रेस नोट\***

आज दिनांक 13-10-2020 को थाना शिवपुर के उ0नि0 दान बहादुर पाल द्वारा मु0अ0सं0 0711/2018 धारा 379/411 भादवि में वाछित अभियुक्त सुभाष कुमार जायसवाल पुत्र दिनेश कुमार जायसवाल निवासी जाठी थाना फूलपुर जनपद वाराणसी को गिलट बाजार चौराहे से समय 11.00 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना शिवपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\***

- सुभाष कुमार जायसवाल पुत्र दिनेश कुमार जायसवाल नि0 जाठी थाना फूलपुर जनपद वाराणसी उम्र-20 वर्षी

**\*गिरफ्तार कर्ता-\***

- उ0नि0 दान बहादुर पाल थाना शिवपुर जनपद वाराणसी।



प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

\*प्रेस नोट\*

आज दिनांक- 13.10.2020 को प्रभारी निरीक्षक लंका महेश पाण्डेय व चौकी प्रभारी रमना संध्या सिंह द्वारा मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान मु0अ0सं0 0103/2020 धारा 302 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त जितेन्द्र राजभर पुत्र स्व0 लल्लन राजभर निवासी काशीपुर टिकरी थाना लंका, वाराणसी को सुसुवाही चौराहे से समय करीब 12.10 बजे गिरफ्तार कर लिया गया जिसके कब्जे से आलाकत्ल 01 अदद देशी पिस्टल बरामद हुई। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना लंका पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\*

- जितेन्द्र राजभर पुत्र स्व0 लल्लन राजभर निवासी काशीपुर टिकरी थाना लंका, वाराणसी उम्र- 26 वर्ष।

\*बरामदगी का विवरण-\*

- आलाकत्ल 01 अदद देशी पिस्टल।

\*पंजीकृत मुकदमा-\*

1. मु0अ0सं0 0103/2020 धारा 302 भादवि
2. मु0अ0सं0 0687/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

\*गिरफ्तार करने वाली टीम:-\*

- प्रभारी निरीक्षक लंका महेश कुमार पाण्डेय, चौकी प्रभारी रमना संध्या सिंह, हे0का0 जयप्रकाश विश्वकर्मा, का0 आशीष कुमार तिवारी, का0 मनीष पटेल व म0का0 अंजू कुमारी थाना लंका वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी  
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-[sspvns-up@nic.in](mailto:sspvns-up@nic.in), Facebook-  
policevaranasi

संख्या: पीआरओ 77/2020

दिनांक: अक्टूबर, 13/2020

\*प्रेस नोट\*

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, गैर जरूरी तौर से होटल/गेस्ट हाऊस/दुकानें खुली रखने वाले संचालकों, कालाबाजारी करने वालों व राज्य सरकार द्वारा जारी गार्ड लाईन से सम्बन्धित नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 13-10-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए \*कुल 67 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी\* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा \*123 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51 आपदा प्रबन्ध अधिनियम\* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों, 14 बार्डर प्वाइंट व 49 पुलिस नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए \*कुल 1862 वाहनों का चालान, 23 वाहनों को सीज तथा 338 वाहनों से रु0-3,13,300/- समन शुल्क वसूल\* किया गया।

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेशानुसार आज दिनांक 13-10-2020 को जनपद वाराणसी राज्य सरकार द्वारा जारी गार्ड लाईन से सम्बन्धित नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा बिना मास्क पहने घूम रहे व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर बिना मास्क धारण किये \*कुल 1685 व्यक्तियों से रु0-81,700/- जुर्माना\* जमा कराया गया।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।